न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रतन सिंह बनाम कुलदीप वगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रा०पत्र पत्थरगढ़ी मु०नं० - /13/2023

पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23.10.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:14:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113 / 2023	2023 / 1093	17.08.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

1. रतन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
2. समुद्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
3. महावीर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

—प्रार्थीगण—

बनाम्

1. कुलदीप सिंह पुत्र किशन सिंह
2. जयसिंह पुत्र सुगन सिंह
3. टीना कंवर पुत्री किशन सिंह
4. शक्ति सिंह पुत्र किशन सिंह
5. शंकर सिंह पुत्र सुगन सिंह
6. सुनील सिंह पुत्र किशन सिंह
7. सुरेश कॅवर पत्नी किशन सिंह
8. आशु सिंह पुत्र भागीरथ सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

9. प्रेम सिंह पुत्र अमर सिंह

10. मदन सिंह पुत्र भँवर सिंह

11. विरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह

12. सज्जन कँवर पत्नी अमर सिंह

13. सुभाष सिंह पुत्र भागीरथ सिंह

14. हरि सिंह पुत्र अमर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

15. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित :—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 अभिभाषक वकील प्रार्थीगण ।

श्री महेन्द्र सिंह खैरवा एड0, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की ओर से।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर— अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 6647 रकबा 0.51 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: Self Attested

Rathore
23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित हैं। जिसके प्रार्थीगण दर्ज जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम अंकित हैं। उक्त भूमियों का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आदेश क्रमांक/एल. आर./35 दिनांक 19.06.2023 की पालना में दिनांक 07.07.2023 को राजस्व ग्राम हरिपुरा में पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6647 के पूर्वी तरफ खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 6650 व उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 6705 के खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 8 ता 14 व पश्चिमी तरफ रास्ता आम व दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण के परिवारजनों की भूमि अवस्थित है। जिसका कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण के पड़ौसी अप्रार्थीगण खातेदारों की भूमि के मध्य कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। इसी कारण उक्त अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमियॉ में सीमा दबाते हुए अतिक्रमण करने की मंशा रखते है , जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। मौके पर कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण व अप्रार्थीगण द्वारा भूमियों की सीमा को दबाने की बदनियति रखकर भूमियों पर जबरन कब्जा करने की मंशा रखते है। इसी कारण प्रार्थीगण की खातेदारी शुदा भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी सीमाज्ञान के मुताबिक कराया जाना आवश्यक होने पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आदेश क्रमांक/एल.आर./35 दिनांक 19.06.2023 की पालना में दिनांक 07.07.2023 को राजस्व ग्राम हरिपुरा में पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के मुताबिक पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह [illegible] एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी हेतु अवसर चाहा गया। वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु तीन अवसर दिये गये। बावजूद अवसरों के भी जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश नहीं करने पर जवाब देही का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 की तामील हुए दो माह का समय हो चूका है। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रार्थीगण ने वकील अप्रार्थीगण की जवाब देही बन्द हो जाने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गई। वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर 6647 रकबा 0.51 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित होकर इसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6647 के पूर्वी तरफ के खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 6650 व उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 6705 के खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 8 ता 14 है। जो सींवजोड़ खातेदार काश्तकार होने से इन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया है। उक्त भूमि के पश्चिमी तरफ रास्ता आम व दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण के परिवारजनों की भूमि अवस्थित है। जिसका कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण के पड़ौसी अप्रार्थीगण खातेदारों की भूमि के मध्य कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त वाकआत आराजी भूमियों बाबत कोई विवाद नहीं होने से पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा किये गये सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वहीं दूसरी ओर वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अवगत कराया कि प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के सीवंजोड़ खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को किसी भी प्रकार से नहीं दबा रखा है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण पर झूठें दोषारोपण किये जा रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में दिनांक 07.07.2023 को करवाये गये सीमाज्ञान के दौरान भी अप्रार्थीगण ना तो मौके पर मौजूद ही थे एंव ना ही अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान हेतु ही सूचित किया गया था। प्रार्थीगण के द्वारा बाला–बाला उक्त सीमाज्ञान करवाया गया है। जिनका अब उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाई जा रही है। उक्त सीमाज्ञान के आधार पर करवाई जाने वाली पत्थरगढ़ी से वकील अप्रार्थीगण ने असहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी, नकशा ट्रेस, सीमाज्ञान रिपोर्ट इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 6647 रकबा 0.51 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 की खातेदारी जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6647 के पूर्वी तरफ के खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 6650 व उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 6705 के खातेदार अप्रार्थीगण नम्बर 8 ता 14 है। जो सींवजोड खातेदार काश्तकार होने से इन्हे प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थीगण के द्वारा अधिवक्ता के उपस्थित आने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश नहीं किये जाने पर जवाबदेही का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण को बहस में

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लिया जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के प्रार्थीगण के खातेदार काश्तकार होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2023 के आधार पर पत्थरगढ़ी करवाई जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल प्रतित होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी मे दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने तथा मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2023 के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 6647 रकबा 0.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अभिलेख निरीक्षक फीस 900/– रूपए एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूप्ये प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपये जरिये चालान राज्यकोष में जमा ली जावे तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा दिनांक 07.07.2023 के द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बर पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested